**L. C. BILL No. IX OF 2026.**

*A BILL*

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFER AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005.

**विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०२६।**

**महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

**क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

(शा.म.मु.) एचबी-५४८–१ (१००-६-२०२६)

**और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, २७ मई २०२६ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २००६ का महा. २१।

सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ५।

**और क्योंकि** उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहतरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम में अधिनियमित किया जाता हैः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह २७ मई २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् २००६ का महा. २१ की धारा ४ में संशोधन।

**२.** महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ की धारा ४ की,— सन् २००६ का महा. २१।

(क) उप-धारा (४) के,—

(एक) विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु जनगणना २०२७ से संबंधित चल रहे कार्यों के कारण वर्ष २०२६ में किये जानेवाले सरकारी कर्मचारियों के आम स्थानांतरण ३० जून २०२६ को या के पूर्व किये जाएँगे। ";

(दो)विद्यमान परन्तुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान में "परन्तु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४क) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०२६ का महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

**३.** (१) महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र.५।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५, (सन् २००६ का महा. २१) सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा ४ यह उपबंध करती है कि, सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण सामान्यतः वर्ष में केवल एक बार अप्रैल या मई महीने में किया जाता है।

**२.** जनगणना २०२७ संपूर्ण भारत में आयोजित की जा रही है। जनगणना २०२७ का पहला चरण अर्थात् मकान सूचीकरण और आवास जनगणना महाराष्ट्र राज्य में १६ मई २०२६ से १४ जून २०२६ तक की जा रही है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जनगणना २०२७ के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का स्थानान्तरण न करने का अनुरोध किया गया है। अत्:, जनगणना २०२७ के पहले चरण का सुचारु संचालन करने के लिए उपबंध करना इष्टकर समझा गया है कि, वर्ष २०२६ में किये जानेवाले सरकारी कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरण उक्त अधिनियम की धारा ४ में यथोचित संशोधन द्वारा ३० जून २०२६ को या के पूर्व कर दिए जाएं।

**३.** चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, एसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (सन् २०२६ का महा. अध्या. क्रमांक ५), २७ मई २०२६ को प्रख्यापित हुआ था।

**४.** प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १६ जून, २०२६।

**देवेंद्र फडणवीस,**
मुख्यमंत्री।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांक १६ जून, २०२६।

(यथार्थ अनुवाद),
**श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,**
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

**डॉ. विलास आठवले,**
सचिव (३),
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई